

भाग- III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

14-	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	अपेक्षित नहीं।
15-	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत।
16-	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 एवं 10-20 सेमी0 व्यास वर्ग के पौधों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित पौधों की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

तिथि - 06/2/2014
स्थान - अल्मोड़ा


वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।